झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संख्या – 10/यो0आ0–11/2016–17 /रा0, राँची, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के सभी जिलों एवं मुख्यालय में विभागीय कार्यालयों के लिए मशीन–उपकरण एवं उपस्कर के क्रय हेतु कुल ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलों एवं मुख्यालय में विभागीय कार्यालयों के लिए मशीन–उपकरण एवं उपस्कर के क्रय हेतु कुल ₹ 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

3. मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों की सूची तैयार करने के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी मशीन–उपकरणों एवं उपस्करो का क्रय प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिसका संबंधित कार्यालयों में अत्यधिक आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त मशीन–उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली गई हो। मशीन–उपकरण के अंतर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, निबंधन कार्यालय में सी.सी.टी.वी., कार्यालय फर्नीचर आदि का क्रय किया जाय।

4. योजना व्यय का विकलन राज्य योजना अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से होगा।

5. इसका आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

7. मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु ई–टेंडरिंग/निविदा का आमंत्रण राज्य सरकार के नियम के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किया जाएगा।

8. अपर समाहर्त्ता अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों (निबंधन कार्यालयों सहित) से अधियाचना प्राप्त कर समीक्षोपरान्त अतिआवश्यक मशीन–उपकरणों एवं कार्यालय उपस्करों की सूची तैयार करेंगे एवं उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर तथा मुख्यालय स्तर पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर मशीन–उपकरण एवं उपस्कर का क्रय किया जाएगा। आवंटन के अनुरूप वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए क्रय सुनिश्चित करेंगे। अनावश्यक रूप से अनुपयोगी मशीन–उपकरणों एव उपस्करों का क्रय नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए संबंधित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. क्रय के फलस्वरूप आपूर्तित मशीन–उपकरणों एवं उपस्करों की उचित प्रविष्टि संबंधित पंजी में संबंधित कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 1499/रा0 राँची, दिनांक– 13-04-16

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अंचलाधिकारी/सभी संबंधित/जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/16
सरकार के सचिव

sec10/2016-17/ swikrityadesh(labit)

mail sent 13.4.16

संख्या – 10/यो0आ0–11/2016–17...1499/आ.रा., राँची, दिनांक– 13-04-16

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यालयों के लिए मशीन–उपकरण एवं उपस्कर के क्रय के निमित्त शीर्षवार स्वीकृत राशि की विवरणीः–

राशि रुपये में

क्र.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	अभियुक्ति
1	राज्य योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–20– मशीन–उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि	3,70,00,000/–	
2.	राज्य योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–20– मशीन–उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि	1,30,00,000/–	
	कुल योग	5,00,00,000/–	

(पाँच करोड़ रुपये मात्र)

13/04/16

(कमल किशोर सोन)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

sec10/2016-17/ swikrityadesh(lalit)

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 208

पत्रांक संख्या :- 1499 **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 13/04/2016

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : राज्य के सभी जिलो मे विभागीय कार्यालयो के लिए मशीन उपकरण एवं उपस्कर क्रय हेतु ।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 40 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभ
मुख्यशीर्ष - 2029-भू-राजस्व
उपमुख्य शीर्ष - 00-भू-राजस्व

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐ 1,30,00,000.00
102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	☐ 3,70,00,000.00
कुलराशि :-	**☐ 5,00,00,000.00**

172.16.20.1

Run Date: 20/04/2016

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
40P202900102200317	20 - मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि	17 - मशीन एवं उपकरण	
40P202900796200317		17 - मशीन एवं उपकरण	

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

172.16.20.1

Run Date: 20/04/2016